

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 937वी बैठक दिनांक
10.02.2026 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 937वी बैठक दिनांक 10.02.2026 को श्री शिव नारायण सिंह चौहान, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एफको, पर्यावरण परिसर, भोपाल में निम्नानुसार सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई :-


1. डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री. दीपक आर्य, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	जिला	परियोजना	SEAC अनुशासित/ पोर्टल पर आवेदित	द्वारा परिवेश	प्राधिकरण का निर्णय
1.	9384/2022	1(a)	धार	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन		पूर्व पर्यावरण स्वीकृति संशोधन जारी किया जाये।
2.	P2/1230/2025	1(a)	मंदसौर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति		पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
3.	P2/960/2025	1(c)	छिन्दवाड़ा	River Valley/ Irrigation Project	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति		ADS जारी किया जाये
4.	9912/2023	7(da)	राजगढ़	कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति		ADS जारी किया जाये
5.	P2/1716/2025	1(a)	रीवा	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति		ADS जारी किया जाये
6.	P2/683/2024	1(a)	बालाघाट	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशासित नहीं		पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
7.	P2/795/2025	1(a)	देवास	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति		पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
8.	P2/859/2025	1(a)	गुना	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति		पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
9.	P2/1220/2025	1(a)	धार	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति		पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
10.	P2/1426/2025	1(a)	उज्जैन	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति		पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
11.	P2/2211/2026	8(a)	इन्दौर	भवन निर्माण	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति		पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 937वी बैठक दिनांक
10.02.2026 का कार्यवाही विवरण

12-	P2/1650/2025	8(a)	इन्दौर	भवन निर्माण	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
13-	8126/2021	1(a)	सिवनी	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण जारी की जाये।
14-	P2/1154/2025	1(a)	धार	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
15-	P2/683/2024	1(a)	सिंगरौली	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
16-	8496/2021	1(a)	उमरिया	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण जारी की जाये।
17-	10866/2023	1(a)	शाजापुर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण जारी की जाये।
18-	P2/1132/2025	1(a)	छतरपुर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
19-	P2/2175/2025	1(a)	खरगौन	मुरुम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
20-	P2/1611/2025	1(a)	छतरपुर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
21-	P2/2068/2025	8(a)	इन्दौर	भवन निर्माण	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 937वी बैठक दिनांक
10.02.2026 का कार्यवाही विवरण


1. Proposal No.SIA/MP/MIN/560756/2025, 9384/2022Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 2.0 ha., for Production Capacity of Stone - 15750 Cum per annum & M.Sand – 5250 Cum per annum, at Khasra No.958 Peki , Village - Khareli, Tehsil - Sardarpur, Dist. Dhar (MP) by Shri Yagya Jat S/o Shri Kailash Jat, 107/1, Tripurti Nagar, Dist. Dhar, MP – 454001 (Amendment in EC).

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 859वी बैठक दिनांक 10.01.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित Ammendment in EC जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 859वी बैठक दिनांक 10.01.2026 में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित Ammendment in EC हेतु की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. Identification No. - EC23B000MP167497 दिनांक 06.01.2023 में उत्पादन क्षमता 21000 घनमीटर प्रतिवर्ष के स्थान पर उत्पादन क्षमता Stone (gitti)- 15,750, cum/year & M.Sand 5250 cum/year किये जाने हेतु संशोधन (Ammendment in EC) किये जाने का निर्णय लिया जाता है। पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र दिनांक 06.01.2023 की शेष शर्तें एवं वैधता यथावत रहेंगी। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 937वी बैठक दिनांक
10.02.2026 का कार्यवाही विवरण

2. Proposal No. SIA/MP/MIN/561325/2025, P2/1230/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 2.0 ha., for Production Capacity of Stone (Gitty) 20,000 Cum/year and M-sand 5,000 Cum/year, at Khasra No. 3/1, Village Dodiameena, Tehsil Malhargarh & District Mandsaur (M.P.) by Shri Surendra Kumawat, R/o H.NO.- A/67, janta Colony, Mandsaur (M.P.).

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 859वी बैठक दिनांक 10.01.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 859वी बैठक दिनांक 10.01.2026 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर द्वारा लीज नवीनीकरण आदेश क्र. 2007 दिनांक 12.09.2022 के माध्यम से 10 वर्ष (दिनांक 25.03.2032 तक) का लीज नवीनीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 25.03.2032 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सड़क से दोनो ओर न्यूनतम 200 मीटर तक नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातों में जमा की जावे। खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 937वी बैठक दिनांक
10.02.2026 का कार्यवाही विवरण

- (vi) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावे एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैरियर जोन को रिस्टोर कर वृक्षारोपण किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाये एवं उक्त कार्य खनिज अधिकारी निगरानी में सुनिश्चित किया जाये।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।
- (xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

- (xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (xv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

3. Proposal No. SIA/MP/RIV/551326/2025; Case No. P2/960/24: Prior Environmental Clearance for the Shakkar-Pench Link Combined Project Phase-I (Hard Dam) on River Hard, a tributary of River Shakkar, located at Tehsil Amarwara, District Chhindwara (M.P.), is proposed to provide pressurized pipe irrigation in 31,839 ha of CCA. The estimated submergence area under the dam is 1,087 ha. Presented by Shri D. S. Thakur, Chief Engineer, Office of the Chief Engineer, Rani Avanti Bai Lodhi Sagar Project, Bargi Hills, Jabalpur, District Jabalpur (M.P.) – 482001.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 959वी बैठक दिनांक 10.01.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

1. नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य से परियोजना स्थल की दूरी का उल्लेख EIA रिपोर्ट में नहीं किया गया है अतः अभयारण्य से परियोजना स्थल की वास्तविक दूरी दर्शाते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. EIA रिपोर्ट में जलीय वनस्पति (Aquatic Flora) एवं जलीय जैव विविधता का अध्ययन प्रस्तुत नहीं किया गया है अतः संबंधित विस्तृत अध्ययन एवं विश्लेषण सहित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. EIA रिपोर्ट की तालिका क्रमांक 3.36 (Density - plants /ha of Trees) में Winter, Pre-monsoon, Monsoon अवधि के लिए दर्शाए गए आंकड़े तर्कसंगत नहीं हैं। अतः आंकड़ों का पुनः परीक्षण कर संशोधित एवं प्रमाणित विवरण प्रस्तुत किया जाए।
4. EIA रिपोर्ट के Chapter-3 (3.1.1.4- Water Environment) में sampling station के नामों का उल्लेख नहीं किया गया है अतः sampling station के नाम, स्थान एवं स्रोत के साथ विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. समस्त पर्यावरणीय अध्ययन (Environmental Study) की रिपोर्ट अधिकृत/मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला (Authorized Laboratory) द्वारा प्रमाणित प्रति के रूप में प्रस्तुत की जाए।
6. EIA रिपोर्ट की तालिका क्रमांक 3.28 में प्रस्तुत वनस्पतिक जैव विविधता संरक्षण योजना से संबंधित जानकारी तर्कसंगत प्रतीत नहीं होती है अतः जैव विविधता की स्पष्ट एवं संशोधित विवरण प्रस्तुत किया जाए।
7. परियोजना में सम्मिलित कुल भूमि का श्रेणीवार विवरण (निजी/शासकीय/वन भूमि) तथा डूब क्षेत्र के विवरण की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किया की जाए साथ ही भूमि से संबंधित दस्तावेज भी प्रस्तुत किए जाएं।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण के परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार से बिन्दु क्रं. 1 से 7 तक की जानकारी एवं प्रमाण पत्र प्राप्त की जाए इसके उपरांत ही प्रकरण पर विचार किया जावेगा। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 937वी बैठक दिनांक
10.02.2026 का कार्यवाही विवरण

4. Proposal No. SIA/MP/INFRA2/525087/2025; Case No.: 9912/2023, Prior Environment Clearance for Common Bio Medical Waste Treatment Facility at Survey No - 36/5, Village Tutipura, Tehsil & District Rajgarh, Madhya Pradesh , Total Plot Area - 1.38 Acres (5610sq.m) by Smt. Pramila Sharma, Director, House No. -8, 5 Vinay Grah, Nirman Society Hoshangabad Road, Jatkhedi, Tehsil Huzur, Distt. – Bhopal (M.P.) 462026. (EIA) Query Reply.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 826 वी बैठक दिनांक 09.09.2025 एवं 860वी बैठक दिनांक 13.01.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।


प्राधिकरण द्वारा 917वी बैठक दिनांक 01.12.2025 में लिये गये निर्णयानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं ADS Reply का परिवेश पोर्टल पर अवलोकन करने पर निम्नानुसार पाया गया है कि :

1. आपके द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक 11.12.2025 के बिंदु क्रमांक 2 में उल्लिखित बिंदु (iv) के अनुसार "1.8 TPA of domestic waste will be generated, which will be segregated and organic waste will disposed off to nearest municipal bin and non-biodegradable waste will be handed over to authorized recyclers of MPPCB.", उक्त के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए हैं अतः अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत की जाए।
2. EIA रिपोर्ट में यह भी अंकित है कि Hazardous Waste Management हेतु Hazardous and Other Wastes (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2016 के अनुसार निस्तारण किया जाएगा तथा अधिकृत TSDF के साथ अनुबंध किया जाएगा उक्त के संबंध में संबंधित अनुबंध एवं प्राधिकृत दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएं।
3. अतिरिक्त उपचारित अपशिष्ट जल (Extra Treated Waste Water) के निस्तारण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) प्रस्तुत नहीं किया गया है अतः संबंधित NOC प्रस्तुत की जाए।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा पुनः विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा बिन्दु क्रं. 1 से 3 तक की जानकारी एवं प्रमाण पत्र 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड किये जाये, इसके उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

5. Proposal No.: SIA/MP/MIN/518162/2025, Case No. –P2/1716/2025 Prior Environment Clearance for Stone Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.430 ha., for Production Capacity of 7368 cum per annum. at Khasra No. 109, 107/2 & 108/2, Village-Jonhi, Tehsil - Huzur, District-Rewa (M.P.) by Smt. Bharti Tripathi, C/O Sanjay Tripathi, R/o House no. 3018, ward no. 04 padranaibasti, Huzur, Rewa Madhya Pradesh 486001

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 860वी बैठक दिनांक 13.01.2026 एवं 817वी बैठक दिनांक 05.08.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।


प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

प्रश्नाधीन प्रकरण में प्रस्तुत कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है का उल्लेख किया गया है जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार PM Gatishakti Portal पर खनिज विभाग द्वारा अपलोड डाटा एवं गूगल ईमेज के आधार पर 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदान श्री शंकर दत्त रकबा 1.868 हेक्टेयर, मेसर्स कलपेश स्टोन केशर रकबा 1.983 हेक्टेयर एवं श्री संजीव मिश्रा रकबा 1.20 हेक्टेयर स्वीकृत/संचालित है जिसको मिलाकर कुल रकबा 6.481 हेक्टेयर होता है अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी में आता है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में जिला कलेक्टर रीवा प्रश्नाधीन खदान के 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों की स्थल निरीक्षण उपरांत वस्तुस्थिति 15 दिवस में प्राप्त की जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जावे।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुमंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

6. Proposal No. SIA/MP/MIN/519618/2025, Case No. P2/683/2024 Prior Environment Clearance for Sand Mine, in area of 15.43 Hectare, for Production Capacity of 1,01,838 cum per annum, at khasra No. 529/1, in Village - Mundesara, Tehsil - Kirnapur, District - Balaghat (MP) by Shri Puran Lakshkar, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 860वी बैठक दिनांक 13.01.2026 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

“ The case was examined by SEAC meeting 773rd dated 17/02/2025 and query regarding replenishment study was raised. The query reply was discussed in SEAC meeting 786th dated 16/04/2025, recommended on the basis of replenishment data available in DSR, accordingly case was recommended to SEIAA prior to the H'ble Supreme court order dated 22/08/2025. The SEIAA observation are communicated vide meeting dated 23/08/2025 very next day of the H'ble Supreme court order. At present in view of the H'ble Supreme court order the case is not found fit to recommend for grant of EC. It is also proposed to SEIAA for directing State Government to comply with the H'ble Supreme court order in true spirit. ”

प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा replenishment data प्रस्तुत न किये जाने के कारण प्रकरण में अनुशंसा नहीं की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि SEAC समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक से replenishment study data प्राप्त किया जावे, इसके उपरांत समग्र रूप से प्रकरण का Appraisal कर स्पष्ट अनुशंसा व अभिमत के साथ प्राधिकरण को प्रेषित करें। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जावे, तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

7. Proposal No. SIA/MP/MIN/553792/2025, Case No.P2/795/2024 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of - 3.00 ha., for Production Capacity of Stone (Gitti) - 50,000 m³/year & Overburden - 24560 m³/year, at Khasra No.- 1/1 Min-2 & 1/2 Peki, Village - Chapda, Tehsil- Bagli, District- Dewas (M.P.) by Shri Karan Singh Thakur, Director Prathvi Infrastructure Pvt. Limited, R/o- 23 Royal Residency Indore, District Indore, M.P.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 860वीं बैठक दिनांक 13.01.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 860वीं बैठक दिनांक 13.01.2026 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास द्वारा लीज हस्तांतरण आदेश क्र. 1964 दिनांक 06.10.2023 के माध्यम से दिनांक 09.04.2028 तक का लीज की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 09.04.2028 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन संक्रिया आरंभ करने के पूर्व खदान क्षेत्र में मौजूद 15 वृक्षों में से काटे जाने वाले 05 वृक्षों के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के तहत 50 पौधों का रोपण किया जाये व संरक्षण हेतु टी गार्ड लगाये जाये तथा शेष बचे पेड़ों का संरक्षण किया जायेगा। उक्त काटे जाने वाले वृक्षों को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के उपरांत ही काटा जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातों में जमा की जावे। खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

- (v) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हों। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावे एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैरियर जोन को रिस्टोर कर वृक्षारोपण किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाये एवं उक्त कार्य खनिज अधिकारी निगरानी में सुनिश्चित किया जाये।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मों के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 937वी बैठक दिनांक
10.02.2026 का कार्यवाही विवरण

- (xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

8. Proposal No. SIA/MP/MIN/554181/2025, Case No. – P2/859/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 4.00 Ha., for production capacity of 20,000 m³/year, at Khasra No.- 57/1, Village - Mohanpurkala, Tehsil- Guna, District- Guna (M.P.) by Shri Nishank Garg, R/o - Jaat Muhalla Guna, District- Guna, (M.P.)- 473001

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 860वीं बैठक दिनांक 13.01.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 860वीं बैठक दिनांक 13.01.2026 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला गुना द्वारा लीज नवीनीकरण आदेश क्र. 60 दिनांक 28.01.2025 के माध्यम से दिनांक 17.12.2035 तक का लीज की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 09.04.2028 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातों में जमा की जावे। खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुमदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

- (vi) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावे एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैरियर जोन को रिस्टोर कर वृक्षारोपण किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाये एवं उक्त कार्य खनिज अधिकारी निगरानी में सुनिश्चित किया जाये।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।
- (xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मॉ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष


राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 937वीं बैठक दिनांक
10.02.2026 का कार्यवाही विवरण

- (xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (xv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 937वीं बैठक दिनांक
10.02.2026 का कार्यवाही विवरण

9. Proposal No. SIA/MP/MIN/555475/2025, Case No. P2/1220/2025 Prior Environment Clearance for Stone and Murrum Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 3.00 ha. for Production Capacity of Stone (Gitti) 60,000 Cum Per Annum, M Sand 20,000 Cum Per Annum and Murrum 40,000 Cum Per Annum, at Khasra No. 312/1/1, in Sandla, Tehsil Badnawar, District Dhar (M.P.) by Shri Babulal Jat, Owner, R/o Karanpura, Tehsil Badnawar, District Dhar (M.P.)


राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 860वीं बैठक दिनांक 13.01.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 860वीं बैठक दिनांक 13.01.2026 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार द्वारा आदेश क्र. 3397 दिनांक 19.12.2024 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 18.12.2034 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सड़क एवं वाटर बाडी के FTL तथा नदी से न्यूनतम 100 मीटर तक नो माइनिंग जोन के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

- (vi) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातों में जमा की जावे। खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।
- (viii) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावे एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
- (x) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष


राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 937वीं बैठक दिनांक
10.02.2026 का कार्यवाही विवरण

- (xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मॉ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (xv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

10. Proposal No. SIA/MP/MIN/558328/2025, Case No. P2/1426/2025 Prior Environment Clearance for Stone Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.00 ha., for Production Capacity of Stone – 19,208 Cum/Year & M-Sand – 8232 Cum/Year, at Khasra No. 61, Village- Akayanajik, Tehsil- Nagda, District- Ujjain (M.P) by M/s S And S Stone Crusher, Partner Sachin, Chhota Bazar, unhel, Tehsil - Nagda, District-Ujjain MP.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 860वी बैठक दिनांक 13.01.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशांसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 860वी बैठक दिनांक 13.01.2026 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशांसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन द्वारा आदेश क्र. 207 दिनांक 21.02.2024 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 20.02.2034 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सड़क से न्यूनतम 100 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।


(दीपक अग्रवाल)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह बौहान)
अध्यक्ष

- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातों में जमा की जावे। खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।
- (vii) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावे एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ों के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष


राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 937वीं बैठक दिनांक
10.02.2026 का कार्यवाही विवरण

- (xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 937वीं बैठक दिनांक
10.02.2026 का कार्यवाही विवरण

11. Proposal No. SIA/MP/INFRA2/558947/2025, Case No. – P2/2211/2026 Prior Environmental Clearance for Proposed Construction of Commercial Project "NRK Rasoma". M/s Aashna Ventures are proposing to construct a commercial project with the total plot measuring 14,980 m², out of which the proposed project will be developed on 11,660 m² of land, situated at Khasra Nos. 249/1 (250,251,252,253) Pe. 249/2 (250,251,252,253) Pe. at Village Bhamori Dube, Tehsil Malharganj & District Indore (M.P.). Total Plot Area – 11,660 sq.m., Builtup Area- 58,299.7 sq.m. by Shri Deepak Kalra, Partner, M/s AASHNA VENTURES, Plot No. 29, Gulmohar Colony, Indore, Distt. - Indore (M. P.) – 452018.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 860वीं बैठक दिनांक 13.01.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार निम्नानुसार पाया गया :-

उक्त प्रकरण की वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :-

1. उक्त वाणिज्यिक परियोजना M/s Aashna Ventures द्वारा NRK Rasoma" खसरा क्रमांक 249/1 (250, 251, 252, 253) प. एवं 249/2 (250, 251, 252, 253) प., ग्राम भमोरी दुबे, तहसील मल्हारगंज, जिला इंदौर (म.प्र.) में स्थित है जिसमें कुल प्लॉट क्षेत्रफल 11,660 वर्ग मीटर, कुल निर्मित क्षेत्र 58,299.7 वर्ग मीटर प्रस्तावित है। यह प्रस्ताव श्री दीपक कालरा, पार्टनर, M/s Aashna Ventures, प्लॉट क्रमांक 29, गुलमोहर कॉलोनी, इंदौर, जिला इंदौर (म.प्र.) 452018 द्वारा प्रस्तुत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का है।
2. परियोजना का कुल प्लॉट क्षेत्रफल 11,660 वर्ग मीटर, कुल निर्मित क्षेत्र 58,299.7 वर्ग मीटर है जो 1,50,000.00 sq.m से कम है इसलिए परियोजना ईआईए अधिसूचना 14 सितंबर 2006 के अनुसार श्रेणी बी, अनुसूची 8(ए) के अंतर्गत शामिल है।
3. उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 860वीं बैठक दिनांक 13.01.2026 को "पर्यावरणीय स्वीकृति" प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 73 से 86 तक अंकित है।
4. परियोजना का विवरण निम्नानुसार है :-

S.NO.	Information Required	Details
1.	Project Name/Activity.	Shri Deepak Kalra, Partner, M/S Aashna Ventures, Plot No. 29, Gulmohar Colony, Indore, Distt. - Indore (M. P.) - 452018.

(दीपक अग्रय)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निवारण प्राधिकरण म.प्र. की 937वी बैठक दिनांक
10.02.2026 का कार्यवाही विवरण

2.	Project Proposal For.	Proposed Construction of Commercial Project "NRK Rasoma".M/s Aashna Ventures.
3.	Project Cost.	10802 Lakhs.
4.	Project Lat./Long.	22°44'52.57"N latitude and 75°53'37.17"E longitude.
5.	Description of Project.	M/s Aashna Ventures are proposing to construct a commercial project with the total plot measuring 14,980 m ² , out of which the proposed project will be developed on 11,660 m ² of land, situated at Khasra Nos. 249/1 (250,251,252,253) Pe. 249/2 (250,251,252,253) Pe. at Village Bhamori Dube, Tehsil Malharganj & District Indore (M.P.)
6.	SPCB Comments/ CTE/CTO Validity.	➤ PCB ID: 173010, Consent No:CTE-63499, Outward No:124285,15/12/2025, Consent to Establish up to 30/11/2030. Commercial Building Project- Built-up area (FAR + Non-FAR) 58299.7 Square Meter.
7.	High Rise Permission details.	➤ Endt No. 994/High-rise/T&CP/2025 Indore dated 10/03/2025.
8.	Maximum Height.	➤ 60 meter.
9.	Declaration No Construction start at site.	➤ No Construction start at project site Affidavit Submitted letter dated 29.10.2025 Copy uploaded on Parivesh Portal 2.0.
10.	Location Lat./Log.	➤ Latitude - 22°44'52.57"N Longitude - 75°53'37.17"E.
11.	CGWA NOC details.	➤ EXM/INF/MP/2025/17848/N Date of issue 18/12/2025. ➤ Application No. INF/MP/2025/17848.
12.	MSW NoC details.	➤ IMC HO, Indore issued vide letter no. 225 dated 10/10/2025.
13.	Extra Treated water NoC	➤ IMC (Water & Drainage) issued vide letter no. 4610/25-26 Indore dated 23/12/2025.
14.	Number of vehicle to be parked.	➤ Required Parking: 406 ECS. ➤ Basement 1, 2 & 3: 395 ECS. ➤ Mezzanine Parking: 30 ECS. ➤ Podium Parking: 122 ECS. ➤ Open Parking: 54 ECS.

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 937वी बैठक दिनांक
10.02.2026 का कार्यवाही विवरण

15.	Water requirement details	Total Water Requirement: 143.45 KLD Fresh Water Requirement: 63.81 KLD Treated/Recycled Water Requirement: 79.63 KLD.
16.	Sewage Treatment & Disposal.	STP Capacity: 150 KLD Sewage Discharge: 79.63 KLD of water will be obtained after the recycling of wastewater out of which 65.77 KLD shall be utilized for the purpose of flushing, 3.87 KLD in green area and 10 KLD for HVAC.
17.	DG set capacity details.	4 DG set of total capacity 2000 KVA (4×500 KVA).
18.	Rain water Harvesting Pits.	9 No.
19.	Proposed green area @ 10.06 %	954.6 m ²
20.	Environmental Consultant details.	Shri Pradeep Chandana, Shri Shubham Dubey, M/s ENVISOLVE LLP, Indore (M.P.), Valid up to 02/07/2026.

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत जानकारी व अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC)की 860वी बैठक दिनांक 13-01-2026 की, अनुशंसा एवं अधिरोपित शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA)की 937वीं बैठक दिनांक 10.02.2026 में मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों, मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्न बिंदु i से viii को शर्तों में शामिल करते हुए परियोजना प्रस्तावक को EIA अधिसूचना 2006 एवं यथासंशोधित के अंतर्गत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- भूमि स्वमित्व के दस्तावेजों में किसी प्रकार की विवादस्पद के स्थिति में परियोजना प्रस्तावक की स्वयं की जवाबदारी होगी।
- परियोजना के जलापूर्ति के लिये अपरिहार्य स्थितियों में भूजल दोहन हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर ही भूजल दोहन किया जाना सुनिश्चित करें।
- परियोजना के तहत भवन के चारों ओर खुले स्थान एवं रोड़ चौड़ाई हेतु मध्यप्रदेश भूमि विकास निगम 2012 (यथा संशोधित) के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- परियोजना स्थल पर अग्निरोधी शमन उपायों का अनिवार्यरूप से क्रियान्वित किया जाना होगा, इन कार्यों में नेशनल बिल्डिंग कोड 2016(यथा संशोधित) के मानक अनिवार्य रूप से प्रालन करना होगा।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य



(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 937वी बैठक दिनांक
10.02.2026 का कार्यवाही विवरण

- v. परियोजना अंतर्गत कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिये 30% गैर पारंपरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाये एवं CO₂ उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपायों पर भी व्यापक कार्य योजना बनाकर इसे कम करने हेतु सभी संभावित कार्य अनिवार्य रूप से किये जाये।
- vi. परियोजना स्थल के चारों ओर ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाना सुनिश्चित करें। काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में 10 गुनी संख्या में वृक्षों का रोपण अनिवार्य रूप से किये जाये।
- vii. परियोजना स्थल पर ई-वाहनों के चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
- viii. प्रस्तावित भवन में संपूर्ण सुरक्षात्मक उपायों का पालन परियोजना प्रस्तावक को करना होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी प्रकार की जन-धन हानि न हो।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

12. Proposal No. SIA/MP/INFRA2/519781/2025; Case No. – P2/1650/2025 Prior Environment Clearance for Proposed Expansion of "Sheraton Hotel" by MID India Creations LLP at Khasra 41/6, 43/3/1,43/3/2/2,45/2/2,45/4/2,46 (included khasra 47/1),47/2/2 Vill. Mayakhedi, Tehsil & District-Indore (MP), Total Plot Area – 29231.89 m², Built up Area – 26542.31 sqmt., by Shri Shailesh Verma, Authorized Signatory, M/s MID INDIA CREATIONS LLP, 11th floor, C21 Bussiness Park, C21 Square, Opposite Radisson Blu Hotel, MR 10, Indore, (M.P.) – 452010.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 860वी बैठक दिनांक 13.01.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार निम्नानुसार पाया गया :-

उक्त प्रकरण की वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :-

1. उक्त परियोजना M/s MID India Creations LLP द्वारा ग्राम मायाखेड़ी, तहसील एवं जिला इंदौर (म.प्र.) स्थित खसरा क्रमांक 41/6, 43/3/2/2, 45/2/2, 46, 47/1, 43/3/1, 47/2/2 एवं 45/4/2 में स्थित "Sheraton Hotel" के विस्तार प्रस्ताव हेतु श्री शैलेश वर्मा, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, M/s MID India Creations LLP, 11वीं मंजिल, C21 बिजनेस पार्क, C21 स्क्वायर, रेडिसन ब्लू होटल के सामने, एम.आर. -10, इंदौर (म.प्र.) - 452010 द्वारा प्रस्तुत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का है।
2. परियोजना का कुल प्लॉट क्षेत्रफल 29,231.89 वर्गमीटर तथा कुल निर्मित क्षेत्र (Built-up Area) 26,542.31 वर्गमीटर (मौजूदा क्षेत्रफल 17,258.62 वर्गमीटर + प्रस्तावित विस्तार क्षेत्रफल 9283.69 वर्गमीटर) प्रस्तावित है जो 1,50,000.00 sq.m से कम है इसलिए परियोजना ईआईए अधिसूचना 14 सितंबर 2006 के अनुसार श्रेणी बी, अनुसूची 8(ए) के अंतर्गत शामिल है। प्रस्तावित परियोजना आवासीय उपयोग के अंतर्गत है।
3. उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 860वी बैठक दिनांक 13.01.2026 को "पर्यावरणीय स्वीकृति" प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 60 से 72 तक अंकित है।
4. परियोजना का विवरण निम्नानुसार है :-


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 937वी बैठक दिनांक
10.02.2026 का कार्यवाही विवरण

SN	Information Required	Details
1.	Project Name/Activity	Shri Shailesh Verma, Authorized Signatory, M/s MID INDIA CREATIONS LLP, 11th floor,C21 Bussiness Park, C21 Square, Opposite Radisson Blu Hotel, MR 10,Indore, (M.P.) - 452010. Prior Environment Clearance for M/s MID India Creations LLP is proposing the expansion of the Sheraton Hotel at Khasra No. 41/6, 43/3/2/2, 45/2/2, 46, 47/1, 43/3/1, 47, 2/2, and 45/4/2 Village, Mayakhedi - Tehsil and District Indore, (M.P.), Total Plot Area - 29231.89 m2, Built up Area - 26542.31 sq mt.
2.	Project Proposal For	Proposed Expansion of Sheraton Hotel.
3.	Project Cost.	117.85 Lakhs.
4.	Description of Project	Sheraton Hotel is known for its bespoke experiences and signature hospitality. M/s MID India Creations LLP is proposing the expansion of the hotel at Khasra No. 41/6, 43/3/2/2, 45/2/2, 46, 47/1, 43/3/1, 47, 2/2, and 45/4/2 Village, Mayakhedi -Tehsil and District Indore, (M.P.).
5.	Total Built-up area of the Hotel (Sq.mt.)	Existing Area - 17258.62 sq mt., Proposed Area -9283.69 sq mt., Total Area- 26542.30 sq mt.,
6.	Agreement letter	Agreement Sheraton grand palace, Indore b/w Mid India Creations LLP and Starwood (M) International , INC. Copy uploaded on website.
7.	Declaration	No Construction start at project site Submitted letter dated 14.02.2025.
8.	Lat./Log.	22°46'27.15"N 75°56'10.97"E, 22°46'27.56"N 75°56'20.03"E 22°46'23.69"N 75°56'19.90"E, 22°46'23.58"N 75°56'11.29"E
9.	Water Supply NoC	CGWA permission dt. 20/12/2025.
10.	MSW NoC	PP Request letter submit dt. 21/05/2025.
11.	Extra Treated water NoC	IMC Indore letter No. 4614 dated 23/12/2025

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 937वीं बैठक दिनांक
10.02.2026 का कार्यवाही विवरण

12.	T&CP Approval	D.N. INDLP27112431348 Date 03/April/2025. T&CP Approval letter issued vide letter no. 5196 dated 24/07/14.
13.	Fire NOC detail	IMC Indore letter issued D.N. 205/IMC/Fire Indore dated 26/12/2022.
14.	Number of vehicle to be parked	298 ECS
15.	Water requirement details	Total water requirement - 181.71 KLD. Fresh water supply - 130.14 KLD.
16.	DG set capacity	2 x 1010 KVA + 2 x 800 KVA.
17.	CTE/CTO Validity	Consent No:AW-63451, Outward No: 124230, dt.02/12/2025.
18.	Environmental Consultant Change	Shri Pradeep Chandana, Shri Shubham Dubey, M/s ENVISOLVE LLP, Indore (M.P.), Valid up to 02. 07 2026.

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत जानकारी व अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC)की 860वीं बैठक दिनांक 13-01-2026 की, अनुशंसा एवं अधिरोपित शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 937वीं बैठक दिनांक 10.02.2026 में मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों, मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्न बिंदु i से viii को शर्तों में शामिल करते हुए परियोजना प्रस्तावक को EIA अधिसूचना 2006 एवं यथासंशोधित के अंतर्गत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- भूमि स्वामित्व के दस्तावेजों में किसी प्रकार की विवादस्पद के स्थिति में परियोजना प्रस्तावक की स्वयं की जवाबदारी होगी।
- परियोजना के जलापूर्ति के लिये अपरिहार्य स्थितियों में भूजल दोहन हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर ही भूजल दोहन किया जाना सुनिश्चित करें।
- परियोजना के तहत भवन के चारों ओर खुले स्थान एवं रोड़ चौड़ाई हेतु मध्यप्रदेश भूमि विकास निगम 2012 (यथा संशोधित) के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- परियोजना स्थल पर अग्निरोधी शमन उपायों का अनिवार्यरूप से क्रियान्वित किया जाना होगा, इन कार्यों में नेशनल बिल्डिंग कोड 2016(यथा संशोधित) के मानक अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

(दीपक अर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 937वी बैठक दिनांक
10.02.2026 का कार्यवाही विवरण

- v. परियोजना अंतर्गत कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिये 30% गैर पारंपरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाये एवं CO₂ उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपायों पर भी व्यापक कार्य योजना बनाकर इसे कम करने हेतु सभी संभावित कार्य अनिवार्य रूप से किये जाये।
- vi. परियोजना स्थल के चारों ओर ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाना सुनिश्चित करें। काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में 10 गुनी संख्या में वृक्षों का रोपण अनिवार्य रूप से किये जाये।
- vii. परियोजना स्थल पर ई-वाहनों के चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
- viii. प्रस्तावित भवन में संपूर्ण सुरक्षात्मक उपायों का पालन परियोजना प्रस्तावक को करना होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी प्रकार की जन-धन हानि न हो।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

13. Proposal No. SIA/MP/MIN/560600/2025, Case No 8126/2021, Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 3.850 ha., for production capacity of 1,02,178 cum per annum, at Khasra No. 128/2, 128/3, 129/2, 129/3 at Village - Dungariya, Tehsil - Seoni, Dist. - Seoni (MP) by Shri Yagyadatta Sharma, Flat No. 106, Shri Apartment Archipuram, New Barapathar, Dist. Seoni, MP – 480661 Regarding transfer of EC in the name of Shri Jat Aaqib, R/o, Bindi Bagicha Tehsil & District Kachchh (Gujrat) 370110

प्रश्नाधीन प्रकरण में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 860वी बैठक दिनांक 13.01.2026 में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :-


..... After presentation committee observed in view of MoEF&CC OM 03/11/2023, 19.02.2025 the said application for transfer of EC. The lease transfer date 30/05/2025 and application for EC transfer is 04/12/2025 on portal. The application for EC transfer is made well within 12 months hence committee finds it fit to recommend for transfer of EC and forward SEIAA for necessary orders.

अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा-11) के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 860वी बैठक दिनांक 13.01.2026 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए निर्णय लिया गया कि पूर्व परियोजना प्रस्तावक Shri Yagyadatta Sharma, Flat No. 106, Shri Apartment Archipuram, New Barapathar, Dist. Seoni, MP – 480661 के नाम Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 3.850 ha., for production capacity of 1,02,178 cum per annum, at Khasra No. 128/2, 128/3, 129/2, 129/3 at Village - Dungariya, Tehsil - Seoni, Dist. - Seoni (MP) की जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति को नवीन परियोजना प्रस्तावक Shri Jat Aaqib, R/o, Bindi Bagicha Tehsil & District Kachchh (Gujrat) 370110 के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के साथ हस्तांतरित किया जाता है :-

- I. उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्रं. 303-04 दिनांक 06.04.2021 में निहित विशिष्ट एवं साधारण समस्त शर्तें यथावत रहेगी तथा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सिवनी के लीज हस्तांतरण आदेश क्र. I/282786/2025 दिनांक 30.05.2025 के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 12.05.2034 तक वैध मान्य रहेगी।
- II. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 14.06.2022 में निर्धारित प्रावधान एवं प्रक्रिया अनुसार शर्तों का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की भी प्रेषित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

- III. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

14. Proposal No. SIA/MP/MIN/546859/2025, Case No. P2/1154/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 2.80 ha., for production capacity of Gitti 12,000 cum/annum & M-Sand 48,000 cum/annum, at Khasra No. 22, 30, Village-Tana, Tehsil Kukshi, District Dhar (M.P.) by Shri Mukesh Patidar, R/o Village Silkuwa, Tehsil Dahi, Dist. Dhar (M.P.) 454331

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 848वी बैठक दिनांक 26.11.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 929वी बैठक दिनांक 13.01.2026 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

“प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

प्रश्नाधीन प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन खसरा पंचशाला खसरा नम्बर 22 का प्रस्तुत किया गया है खसरा नम्बर 30 का पंचशाला प्रस्तुत नहीं किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में खसरा नम्बर 30 का खसरा पंचशाला 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये, इसके उपरांत ही प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 20.01.2026 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ADS Reply को स्वीकार करते हुए, SEAC की 848वी बैठक दिनांक 26.11.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार द्वारा आदेश क्र. 3145 दिनांक 06.12.2024 के माध्यम से 10 वर्ष की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 05.12.2034 तक वैध मान्य रहेगी।
- जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले नदी से एवं जल रोकने की संरचना स्ट्रक्चर से न्यूनतम 100 मीटर तक नो माइनिंग जोन के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातों में जमा की जावे। खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।
- (viii) क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव



(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य



(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावे एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
- (x) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मों के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (xv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

15. Proposal No. SIA/MP/MIN/520025/2025, Case No P2/743/2024 Prior Environment Clearance for Sand Deposit in an area of 2.00 ha. for Production Capacity of 32233 cum per annum, at Khasra No. 186, Village - Nigri, Tehsil - Sari, District – Singrauli (M.P.) by Shri Yodha Umare M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District Bhopal (MP)-462011

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 861वी बैठक दिनांक 16.01.2026 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

“ The committee have thoroughly reviewed the case in light of the various time line google images of the site as stated above, the images reveal that hardly there is any scope of sand exploration at proposed site because most of the time the sand mine area is observed under submergence. Hence, in above context, this case can not be recommended for grant of Environmental Clearance.”

प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया कि गूगल इमेज के अनुसार प्रश्नाधीन खदान में पर्याप्त मात्रा में रेत उपलब्ध है तथा लीज क्षेत्र submergence में नहीं है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि SEAC समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक से लीज क्षेत्र की वर्तमान फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश के प्राप्त किये जावे, इसके उपरांत समग्र रूप से प्रकरण का Appraisal कर स्पष्ट अनुशंसा व अभिमत के साथ प्राधिकरण को प्रेषित करें। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जावे, तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

16. Proposal No. SIA/MP/MIN/ 561945/2025, Case No. 8496/2021, Prior Environment Clearance for Stone Quarry (opencast manual/semi-mechanized method) in an area of 1.619 ha. for production capacity of 10002 cum per annum at Khasra No. 530/1/1, 530/1/2, 530/1/3 at - Raksha, Tehsil - Manpur, Dist. Umariya (MP) by Shri Mayank Singh Parihar S/o Shri Braj Kumar Singh, Near Gayatri Vihar, ITI, Badabag, Dist. Rewa, MP - 486001 Regarding transfer of EC in the name of Shri Sunil Kumar Gupta, Lessee, Village And Tehsil Manpur, District Umariya (M.P.)-484665.

प्रश्नाधीन प्रकरण में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 861वी बैठक दिनांक 16.01.2026 में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :-


..... After presentation committee observed in view of MoEF&CC OM 03/11/2023,19.02.2025 the said application for transfer of EC. The lease transfer date 05/02/2025 and application for EC transfer is 16-12-2025. The application for EC transfer is made well within 24 months and do not attract CCR from MoEF&CC, hence committee finds it fit to recommend for transfer of EC and forward SEIAA for necessary orders

अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा-11) के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 861वी बैठक दिनांक 16.01.2026 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए निर्णय लिया गया कि पूर्व परियोजना प्रस्तावक Shri Mayank Singh Parihar S/o Shri Braj Kumar Singh, Near Gayatri Vihar, ITI, Badabag, Dist. Rewa, MP - 486001 के नाम Stone Quarry (opencast manual/semi-mechanized method) in an area of 1.619 ha. for production capacity of 10002 cum per annum at Khasra No. 530/1/1, 530/1/2, 530/1/3 at - Raksha, Tehsil - Manpur, Dist. Umariya (MP) की जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति को नवीन परियोजना प्रस्तावक Shri Sunil Kumar Gupta, Lessee, Village And Tehsil Manpur, District Umariya (M.P.)-484665 के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के साथ हस्तांतरित किया जाता है :-

- I. उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्रं. 758-59 दिनांक 19.05.2021 में निहित विशिष्ट एवं साधारण समस्त शर्तें यथावत रहेगी तथा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) उमरिया के लीज हस्तांतरण आदेश क्र. 300 दिनांक 05.02.2025 के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 09.01.2032 तक वैध मान्य रहेगी।
- II. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 14.06.2022 में निर्धारित प्रावधान एवं प्रक्रिया अनुसार शर्तों का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष



- III. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

17. Proposal No. SIA/MP/MIN/561152/2025, Case No. 10866/2023 Environment Clearance for Stone Quarry (opencast manual/semi-mechanized method) in an area of 2.0 ha. for Production Capacity of 8550 cum per annum, at Khasra No. 125, Village – Jhikdiya, Tehsil – Moman Badodiya, Dist. Shajapur (MP) by Smt. Tayaba Bee W/o Shri Ayub Bee R/o Ward No. 04, Mahupra, District Shajapur (MP) Regarding transfer of EC in the name of Shri Sidnath Singh Solanki S/o Shri Kailash Singh Solanki, R/o Dupada Tehsil- MO. Badodiya (MP)

प्रश्नाधीन प्रकरण में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 861वी बैठक दिनांक 16.01.2026 में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :-

..... The committee observed the documents and information submitted on the Portal in view of MoEF&CC OM 03/11/2023, 19.02.2025 the said application for transfer of EC. The lease transfer date 23/07/2025 and application for EC transfer is 18-12-2025 on portal. The application for EC transfer is made well within 12 months hence committee finds it fit to recommend for transfer of EC and forward SEIAA for necessary orders. It is mentioned that the cases of EC transfer applied well within one year period need not to be routed through SEAC, this may be brought to the notice of MoEF&CC for necessary correction in the Parivesh Portal.

अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा-11) के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 861वी बैठक दिनांक 16.01.2026 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए निर्णय लिया गया कि पूर्व परियोजना प्रस्तावक Smt. Tayaba Bee W/o Shri Ayub Bee R/o Ward No. 04, Mahupra, District Shajapur (MP) के नाम Stone Quarry (opencast manual/semi-mechanized method) in an area of 2.0 ha. for Production Capacity of 8550 cum per annum, at Khasra No. 125, Village – Jhikdiya, Tehsil – Moman Badodiya, Dist. Shajapur (MP) की जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति को नवीन परियोजना प्रस्तावक Shri Sidnath Singh Solanki S/o Shri Kailash Singh Solanki, R/o Dupada Tehsil- MO. Badodiya (MP) के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के साथ हस्तांतरित किया जाता है :-

- IV. उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्रं. Identification No. - EC24B001MP123169 दिनांक 01.03.2024 में निहित विशिष्ट एवं साधारण समस्त शर्तें यथावत रहेगी तथा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) ^{जुमरिया} के लीज हस्तांतरण आदेश क्र. I/388479/2025 दिनांक 23.07.2025 के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 15.01.2029 तक वैध मान्य रहेगी।
- V. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 14.06.2022 में निर्धारित प्रावधान एवं प्रक्रिया अनुसार शर्तों का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

- VI. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुमंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

18. Proposal No. SIA/MP/MIN/555889/2025 Case No. P2/1132/2025 Prior Environment Clearance for Stone Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 2.00 ha., for Production Capacity of Gitti 20000 Cum/Year & M-Sand 20000 Cum/Year, at Khasra No. 152/1, Village- Nayagaon Tehsil Bijawar District Chhatarpur (M.P.) by Shri Rajshree singh, R/o- Ward No 01, gulganj road, post bijawar, Tehsil Bijawar, District-Chhatarpur (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 861वी बैठक दिनांक 16.01.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 861वी बैठक दिनांक 16.01.2026 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर द्वारा आदेश क्र. 4049 दिनांक 24.09.2021 के माध्यम से 10 वर्ष की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 23.09.2031 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातों में जमा की जावे। खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

- (vi) क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावे एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मों के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुर्मदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष




राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 937वी बैठक दिनांक
10.02.2026 का कार्यवाही विवरण

- (xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष



19. Proposal No. SIA/MP/MIN/560102/2025, Case No. P2/2175/2025 Prior Environment Clearance for Murrum Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.0 ha. for Production Capacity of 5000 cum per year (as per approved mine plan), at Khasra – 94/1, Village - Belsar Tehsil - Barwaha District - Khargone (M.P) by Shyam Engineering, Proprietor, Shri Abhishek Goyal, S/o- Suresh goyal. 38, Gurunank Marg, Barwaha, Khargaon (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 861वी बैठक दिनांक 16.01.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 861वी बैठक दिनांक 16.01.2026 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन द्वारा आदेश क्र. 1806 दिनांक 29.10.2024 के माध्यम से 10 वर्ष की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 28.09.2034 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष


- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मों के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(दीपक अर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

20. Proposal No.SIA/MP/MIN/524589/2025, Case No. P2/1611/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method),, in an area of 2.485 ha. for Production capacity of Gitti-15,000 m³/year, Boulder 1000 m³/year & M-sand-4000 m³/year, at Khasra No. 123/3/1, 124/1, 124/2, Village – Maandhpur, Tehsil – Buxwaha, District Chhatarpur (M.P.) by Smt. Rekha Patel, R/o Village Khiriyia Madla, Damoh (M.P.)


राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 861वी बैठक दिनांक 16.01.2026 एवं 814वी बैठक दिनांक 26.07.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 861वी बैठक दिनांक 16.01.2026 एवं 814वी बैठक दिनांक 26.07.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर द्वारा आदेश क्र. 2047 दिनांक 29.11.2024 के माध्यम से 10 वर्ष की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 28.11.2034 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मों के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष



- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष



21. Proposal No. SIA/MP/INFRA2/552058/2025; Case No. – P2/2068/2025 Prior Environment Clearance for M/s Agarwal Real City Private Limited is proposing a residential project "Emerald Horizon Tower" at Khasra No. 2/2/3 at Village & Tehsil Bicholi Hapsi & District -Indore (M.P.). Total Plot Area – 5,440 m², Net Plot Area – 4,647 m² Built-up Area-23,320.84 sq. mt. by Shri Pramod Kishore Shrivastava, Chief Financial Officer, M/S Agarwal Real City Private Limited, 706 Heavens App, Grand Exotica, Nr APS, Bhicholi Mardana, Indore, Madhya Pradesh – 452016.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 846वी बैठक दिनांक 18.11.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार निम्नानुसार पाया गया :-

उक्त प्रकरण की वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :-

1. उक्त आवासीय परियोजना M/s Agarwal Real City Private Limited द्वारा "Emerald Horizon Tower" ग्राम एवं तहसील बिचौली हप्सी, जिला इंदौर (म.प्र.) खसरा क्रमांक 2/2/3 में स्थित है जिसमें कुल प्लॉट क्षेत्रफल 5,440 वर्गमीटर तथा कुल निर्मित क्षेत्र 23,320.84 वर्गमीटर है। यह प्रस्ताव श्री प्रमोद किशोर श्रीवास्तव, Chief Financial Officer, M/S Agarwal Real City Private Limited, 706 Heavens App, Grand Exotica, Nr APS, Bhicholi Mardana, Indore, Madhya Pradesh - 452016 द्वारा प्रस्तुत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का है।
2. परियोजना का कुल प्लॉट क्षेत्रफल 5,440 वर्गमीटर, तथा कुल निर्मित क्षेत्रफल 23,320.84 वर्गमीटर है जो 1,50,000.00 sq.m से कम है इसलिए परियोजना ईआईए अधिसूचना 14 सितंबर 2006 के अनुसार श्रेणी बी, अनुसूची 8(ए) के अंतर्गत शामिल है। प्रस्तावित परियोजना आवासीय उपयोग के अंतर्गत है।
3. उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 846वी बैठक दिनांक 18.11.2025 को "पर्यावरणीय स्वीकृति" प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 29 से 42 तक अंकित है।
4. परियोजना का विवरण निम्नानुसार है :-

S.No.	Information Required	Details
1.	Project Name/Activity	Shri Pramod Kishore Shrivastava, Chief Financial Officer, M/S Agarwal Real City Private Limited, 706 Heavens App, Grand Exotica, Nr Aps, Bhicholi Mardana, Indore, Madhya Pradesh – 452016.
2.	Project Cost.	5256 Lakhs.

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 937वी बैठक दिनांक
10.02.2026 का कार्यवाही विवरण

3.	Description of Project	M/s Agarwal Real City Private Limited is proposing a residential project at Khasra No. 2/2/3 at Village & Tehsil Bicholi Hapsi & District Indore (M.P.).
4.	SPCB Comments/ CTE/CTO Validity.	PCB ID: 171788, Consent No:CTE-62985, Outward No:123685,11/09/2025, Consent to Establish up to 31/08/2030. (Residential Building Project- Built-up area (FAR + Non-FAR) 23320.84 Square Meter).
5.	High Rise Permission details	Endt. No. 1681/High Rise/T&CP/2025 Indore Dated 02/05/2025.
6.	Maximum Height	75 meter.
7.	Location Lat./Log.	22°43'35.05"N and 75°55'46.74"E.
8.	Water Supply NoC details.	CGWA Permission dt.27.1.2026
9.	MSW NoC	IMC(Health & Bulk Connection) issued vide letter no. 3163 dated 01/10/2025.
10.	Extra Treated water NoC	IMC (Water & Drainage) issued vide letter no. 4064/25-26 Indore dated 26/09/2025.
11.	T&CP Approval	D.N. INDLP 05052535314 Indore dated 09/06/2025.
12.	Number of vehicle to be parked	Mezzanine Parking: 4 ECS Basement parking: 59 ECS Open parking: 45 ECS Podium I & II parking: 81 ECS Total Proposed Parking: 137 ECS.
13.	Water requirement details	Total Water Requirement: 55.33 KLD Fresh Water Requirement: 33.98 KLD Treated/Recycled Water Requirement: 21.35 KLD
14.	Sewage Treatment & Disposal	STP Capacity: 60 KLD Sewage Discharge: 21.35 KLD of water will be obtained after the recycling of wastewater out of which 18.76 KLD shall be utilized for the purpose of flushing, and 2.58 KLD in green area.
15.	DG set capacity	1 DG set of total capacity 500 KVA (1×500 KVA).
16.	Rain water Harvesting Pits.	1 No.
17.	Environmental Consultant Change	Shri Pradeep Chandana, Shri Shubham Dubey, M/s ENVISOLVE LLP, Indore (M.P.), Valid up to 02/07/2026.
18.	Google Image	North- Kanadia Road Planting on the periphery of the plot

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा **ADS reply** के माध्यम से प्रस्तुत जानकारी जानकारी व अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC)की 846वीं बैठक दिनांक 18-11-2025 की, अनुशंसा एवं अधिरोपित शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 937वीं बैठक दिनांक 10.02.2026 में मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों, मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्न बिंदु i से viii को शर्तों में शामिल करते हुए परियोजना प्रस्तावक को EIA अधिसूचना 2006 एवं यथासंशोधित के अंतर्गत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- i. भूमि स्वमित्व के दस्तावेजों में किसी प्रकार की विवादस्पद के स्थिति में परियोजना प्रस्तावक की स्वयं की जवाबदारी होगी।
- ii. परियोजना के जलापूर्ति के लिये अपरिहार्य स्थितियों में भूजल दोहन हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर ही भूजल दोहन किया जाना सुनिश्चित करें।
- iii. परियोजना के तहत भवन के चारों ओर खुले स्थान एवं रोड़ चौड़ाई हेतु मध्यप्रदेश भूमि विकास निगम 2012 (यथा संशोधित) के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- iv. परियोजना स्थल पर अग्निरोधी शमन उपायों का अनिवार्यरूप से क्रियान्वित किया जाना होगा, इन कार्यों में नेशनल बिल्डिंग कोड 2016(यथा संशोधित) के मानक अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
- v. परियोजना अंतर्गत कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिये 30%गैर पारंपरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाये एवं CO₂ उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपायों पर भी व्यापक कार्य योजना बनाकर इसे कम करने हेतु सभी संभावित कार्य अनिवार्य रूप से किये जाये।
- vi. परियोजना स्थल के चारों ओर ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाना सुनिश्चित करें। काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में 10 गुनी संख्या में वृक्षों का रोपण अनिवार्य रूप से किये जाये।
- vii. परियोजना स्थल पर ई-वाहनों के चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
- viii. प्रस्तावित भवन में संपूर्ण सुरक्षात्मक उपायों का पालन परियोजना प्रस्तावक को करना होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी प्रकार की जन-धर्म हानि न हो।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

SEIAA द्वारा अधिरोपित मानक शर्तें (भवन निर्माण के प्रकरणों हेतु)

परिशिष्ट -1

1. MPSEIAA द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 19.06.23 के अनुसार यदि परियोजना में भू जल निकासी की जाती है तो निम्नानुसार निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करे :-
 - a. जिन मामलों में पानी की आपूर्ति पानी के टैंकरों के माध्यम से की जानी है, उन परियोजनाओं में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पानी की आवश्यकता को केवल लाइसेंस प्राप्त टैंकर जल आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
 - b. सक्षम प्राधिकारी (सीजीडब्ल्यूबी/सीजीडब्ल्यूए) की पूर्व अनुमति के बिना भूजल निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी। तदनुसार, भूजल निकासी के लिए एन.ओ.सी की प्रति सभी नियामक प्राधिकरणों, अर्थात् प्राधिकरण (राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण), क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन भारत सरकार, भोपाल, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी।
 - c. परियोजना प्रस्तावक भूजल निकासी के लिए एन.ओ.सी में किए गए अनुबंधों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और इसकी स्थिति छह मासिक अनुपालन रिपोर्ट के एक भाग के रूप में प्रस्तुत करेंगे।
2. भूमि स्वमित्व के दस्तावेजों में किसी प्रकार की विवादस्पद के स्थिति में परियोजना प्रस्तावक की स्वयं की जवाबदारी होगी।
3. यदि परियोजना स्थल राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य के 10 किमी के दायरे में अधिसूचित इकोसेंसिटिव जोन के भीतर स्थित है, तो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत मंजूरी का आवेदन जो कि वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति को प्रस्तुत किया गया है कि प्रति संलग्न करे।
4. यदि परियोजना स्थल जल निकाय के आसपास है, तो जल निकाय के किनारे से स्थल की ओर 50 मीटर की दूरी को विकास/निर्माण क्षेत्र नहीं माना जाएगा। यदि यह आर्द्रभूमि के निकट है, तो आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 को लागू करने के लिए दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये एवं आवश्यक अनापत्ति प्रमाण सम्बन्धित प्राधिकरण से प्राप्त किया जावे।
5. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।
6. PP should ensure linkage with municipal sewer line for disposal of extra treated waste water.
7. The inlet and outlet point of natural drain system should be maintained with adequate size of channel for ensuring unrestricted flow of water.
8. The storm water from roof – top, paved surfaces and landscaped surfaces should be properly channelized to the rain water harvesting sumps through efficient storm water network

9. PP should ensure road width, front MOS and side / rear as per MPBVR 2012.
10. The building shall be designed for compliance with earth quake resistance and resisting other natural hazardous.
11. The height, Construction built up area of proposed construction shall be in accordance with the existing FSI/FAR norms of the urban local body/T&CP& it should ensure the same along with survey number before approving layout plan & before according commencement certificate to proposed work.
12. Wet Garbage shall be composted in Organic waste convertor. Adequate area shall be provided for solid waste management within the premises which will include area for segregation, composting. The Inert waste from the project will be sent to dumping site.
13. For firefighting:-
 - a. PP should ensure distance of fire station approachable from the project site. All the required .2016fire fighting arrangement should be made available onthe project site as per NBC
 - b. The occupancy permit shall be issued by IMunicipaCorporation only after ensuring that all fire fighting measures are physically in place.
 - c. Sufficient peripheral open passage shall be kept in the margin area for free movement of fire tender/ emergency vehicle around the premises
14. Provide solar lights for common amenities like Street lighting & Garden lighting.
15. Electrical charging points for E-Vehicles shall be provided to promote clean energy.
16. The landscape planning should include plantation of native species. The species with heavy foliage, broad leaves and wide canopy cover are desirable. Water intensive and /or invasive species should not be used for landscaping
17. Any change in the correspondence address should be duly intimated to all the regulatory authorities within 30 days of such change.
18. All activities / mitigative measures proposed by PP in Environmental Impact Assessment (if applicable) and approved by SEAC must be ensured.
19. All activities / mitigative measures proposed by PP in Environmental Management Plan and approved by SEAC must be ensured.
20. Project Proponent has to strictly follow the direction/guidelines issued by MoEF, CPCB and other Govt. agencies from time to time.
21. The Ministry or any other competent authority may alter/modify the conditions or stipulate any further condition in the interest of environment protection.
22. This environmental clearance will be valid for a period of ten years from the date of its issue as per MoEF & CC, Gol notification No. S.O. 1807 (E) dated 12.04.2022 or till the completion of the project, whichever is earlier.
23. Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

24. The Project Proponent has to upload soft copy of half yearly compliance report of the stipulated prior environmental clearance terms and conditions on 1st June and 1st December of each calendar year on MoEF & CC web portal - <http://www.environmentclearance.nic.in/> or <http://www.efclearance.nic.in/> and submit hard copy of compliance report of the stipulated prior environmental clearance terms and conditions to the Regulatory Authority also
25. The Regional Office, MoEF, Gol, Bhopal and MPPCB shall monitor compliance of the stipulated conditions. A complete set of documents including Environment Impact Assessment Report, Environmental Management Plan and other documents information should be given to Regional Office of the MoEF, Gol at Bhopal and MPPCB.
26. The Project Proponent shall inform to the Regional Office, MoEF, Gol, Bhopal and MP PCB regarding date of financial closures and final approval of the project by the concerned authorities and the date of start of land development work.
27. In the case of expansion or any change(s) in the scope of the project, the project shall again require prior Environmental Clearance as per EIA notification, 2006.
28. The SEIAA of M.P. reserves the right to add additional safeguard measures subsequently, if found necessary, and to take action including revoking of the environment clearance under the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, to ensure effective implementation of the suggested safeguard measures in a time bound and satisfactory manner.
29. The proponent shall upload the status of compliance of the stipulated EC conditions, including results of monitored data on their website and shall update the same periodically. It shall simultaneously be sent to the Regional Office of MoEF, the respective Zonal Office of CPCB and the SPCB. The criteria pollutant levels namely; SPM, RSPM, SO₂, NO_x (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters, indicated for the project shall be monitored and displayed at a convenient location near the main gate of the company and in the public domain.
30. The environmental statement for each financial year ending 31st March in Form-V as is mandated to be submitted by the project proponent to the concerned State Pollution Control Board as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently, shall also be put on the website of the company along with the status of compliance of EC conditions and shall also be sent to the Regional Office of MoEF.
31. A copy of the environmental clearance shall be submitted by the Project Proponent to the Heads of the Local Bodies, Panchayat and municipal bodies as applicable in addition to the relevant officers of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.
32. The Project Proponent shall advertise at least in two local newspapers widely circulated, one of which shall be in the vernacular language of the locality concerned, within 7 days of the issue of the clearance letter informing that the project has been accorded environmental clearance and a copy of the clearance letter is available with the State Pollution Control Board and also at website of the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) at www.mpseiaa.nic.in and a copy of the same shall be forwarded to the Regional Office, MoEF, Gol, Bhopal.
33. Any appeal against this prior environmental clearance shall lie with the Green Tribunal, if necessary, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.